बिहार सरकार
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक : /पटना, दिनाक :
4तक0/अनुदान/210/2015

प्रेषक,

निदेशक,
तकनीकी विकास, बिहार, पटना।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
अनुमंडल कार्यालय, हाजीपुर,
जिला– वैशाली

विषय : **मे0 लक्ष्मी विनायक वेंचर्स प्रा0 लि0, जेठुई, हांजीपुर, वैशाली द्वारा ग्राम– जेठुई, हाजीपुर, थाना–इण्डस्ट्रीयल एरिया, हाजीपुर, वैशाली में 1,00,000 MTPA से बढ़ाकर 1,50,000 MTPA डिटर्जेण्ट पाउडर निर्माण की इकाई के क्षमता विस्तार हेतु भूमि संपरिवर्त्तन के निमित भूमि पर लगने वाले भूमि संपरिवर्त्तन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्राधिकार पत्र।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 05.10.2017 को प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 1498 दिनांक 13.10.17 द्वारा मे0 लक्ष्मी विनायक वेंचर्स प्रा0 लि0, जेठुई, वैशाली के भूमि संपरिवर्तन के प्रस्ताव पर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत इकाई के उत्पादन में आने के पश्चात भूमि संपरिवर्तन शुल्क में छूट की स्वीकृति प्रदान की गई है। मे0 लक्ष्मी विनायक वेंचर्स प्रा0 लि0, जेठुई, वैशाली द्वारा 1,00,000 MTPA से बढ़ाकर 1,50,000 MTPA डिटर्जेण्ट पाउडर निर्माण की इकाई के क्षमता विस्तार हेतु आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर कुल 325.25 (तीन सौ पच्चीस दशमलव दो पाँच) डीसमल भूमि पर लगने वाले भूमि संपरिवर्त्तन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 की कंडिका–3(ii)(ग) में व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान है। इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 30 दिनांक 10.01.2013 द्वारा उद्योग स्थापना हेतु भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में छूट देने का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में मे0 लक्ष्मी विनायक वेंचर्स प्रा0 लि0, जेठुई, वैशाली के पक्ष में उद्योग स्थापना हेतु जेठुई, हाजीपुर, वैशाली में थाना नं0–233, खाता नं0–221, 272, 295, 140, 298, 241, 90, 10, 224, 19, 221, 122, 10 एवं खेसरा नं0–7, 8, 11, 14, 17, 09, 12, 01, 02, 03, 18, 19, 20, 21, 16, 19, 20, 04, 07, 08, 11, 15, 16 से कुल 325.25 (तीन सौ पच्चीस दशमलव दो पाँच) डीसमल भूमि पर लगने वाले भूमि संपरिवर्त्तन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाता है।

कृपया इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करने के उपरान्त भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में छूट की राशि सहित पूर्ण विवरण के साथ एक प्रति अद्योहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक– यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :   /पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, वैशाली/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

निदेशक,

तकनीकी विकास, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :   /पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : मे0 लक्ष्मी विनायक वेंचर्स प्रा0 लि0, जेठुई, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

निदेशक,

तकनीकी विकास, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1602 /पटना, दिनांक : 03.11.17

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

03.11.2017

निदेशक,

तकनीकी विकास, बिहार, पटना।

(4)